बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–2/अ0प्र0–1–237/2018 /पटना, दिनांक :–

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री रामसेवक सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज, झारखंड सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज, झारखंड अन्तर्गत पदस्थापन काल में सकरी गली पम्प नहर योजना, साहेबगंज के मुख्य नहर निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि श्री रामसेवक सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज, झारखंड सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री रामसेवक सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज, झारखंड सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/7/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–237/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

6/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–237/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री रामसेवक सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज, झारखंड सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

6/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–237/2018 1284 /पटना, दिनांक :– 8.7.2020

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को उनके पत्रांक 1151 दिनांक 12.02.2020 के प्रसंग में/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1442 अनु0 दिनांक 05.07.2018 के प्रसंग में/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/2020

अपर सचिव